न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–53,188 आरटीए
प्रकरण संख्या:–454 / 2019

सुखदेवसिह पुत्र मुकन्दसिह जाति कुम्हारसिख निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1.बलजिन्द्रसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2.तेजकौर पत्नी जगराजसिह
3.गजनसिह } पि0 जगराजसिह
4.गुरबचनसिह
} जाति कुम्हारसिख निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5.कर्मजीतकौर पत्नी महेन्द्रसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

6.परमजीतकौर पत्नी तारासिह जाति कुम्हारसिख निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

7.महेन्द्रसिह पुत्र ज्वालासिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8.तहसीलदार / उपपंजीयक महोदय टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

वादी सुखदेवसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत खाता तकसीम व शाश्वत व्यादेश के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक नं0 2 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 83 / 53 में कुल 4.554 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का 3643 / 18216 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र कीदफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही ह। वादी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। वादी के हिस्सा की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की आराजी का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त नही रखना चाहता है व अपने हक व हिस्सा 3643 / 18216 हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहता है।वादपत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है लेकिन प्रतिवादीगण जो कि संयुक्त खाता में दर्ज अपने हिस्सा की भूमि में से अच्छी अच्छी भूमि को विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण मुझ वादी

को ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हम उक्त भूमि को बैचान करने की बात भी गॉव के किसी व्यक्ति से कर ली है। अगर प्रतिवादीगण संयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व अन्तरित करने पर आमादा है। इसलिए वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करना चाहता है कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज को बिना खाता विभाजन करवाये रहन,बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से व वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने से निषिद्व रहे।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में संयुक्त खाता में दर्ज वादी के हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी अनुसार अलग से कायम करवाने व बिना खाता विभाजन करवाये उक्त भूमि को रहन,बैय न करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा दायरी के बाद प्रतिवादीगण सं0 1,6,7 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हम प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद में अंकित चुहड़सिह व प्रतिवादीगण सं0 5, 7 ता 11 की भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.09.2019 व 24.12.2019 को खरीद किया गया है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया है। उक्त भूमि में चूहड़सिह व प्रतिवादीगण सं0 5, 7 ता 11 का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। इसलिए चूहड़सिह के स्थान पर बलजिन्द्रसिह को व प्रतिवादीया सं0 5 के स्थान पर कर्मजीतकौर व प्रतिवादीगण सं0 7 ता 11 के स्थान पर महेन्द्रसिह को पक्षकार संयाजित किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ बैयनामाजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश होने पर वादी के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलाई गई, वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई एतराज प्रकट नही किया जिस कारण से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया।मुकदमा हाजा में संशोधित शीर्षक वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद वादी व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का आपस में बटवारां हो चुका है व बटवारां में हम पक्षकारान को राजीनामा के वर्णितानुसार आराजी प्राप्त हुई है। बटवारां के अनुसार हम अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त बटवारां के अनुसार ही अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते है।इसलिए उपरोक्त बटवारा के अनुसार आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई, जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र व प्रतिवादी महेन्द्रसिह का शपथ पत्र तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र बाबत सहमति रास्ता के लिए पेश किया गया। वादी द्वारा वर्तमान डीजिटल जमाबन्दी पेश की गई। स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में आराजी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है व इसी प्रकार काबिज है तथा अपने आवागमन के लिए वादी व प्रतिवादीगण ने रास्ता भी छोड़ा है व राजीनामा के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा में वादी के वाद का कोई विरोध नही किया है व राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,राजीनामा, शपथ पत्र साक्ष्य वादी, शपथ पत्र प्रतिवादी महेन्द्रसिह,वर्तमान जमाबन्दीयॉं, सहमति–पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर राजीनामा अनुसार वादी का वाद साबित है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को राजीनामा के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि **क.**वादी सुखदेवसिह को चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221/207 मु0 50 किलानं0 2,3, 8/.199 है0 दक्षिणी दिशा 9/.199 है0 दक्षिण दिशा

ख. प्रतिवादीसं0 1 बलजिन्द्रसिह, प्रतिवादीसं0 5 कर्मजीतकौर, प्रतिवादीसं0 7 महेन्द्रसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221/207 मु0 50 किलानं0 8/.054, 9/.054, 12,13,18,19, प0न0 220/207 मु0 51 किलानं0 24/.102 है0 पश्चिमी दिशा, 25/.253, प0न0 220/208 मु0 56 किलानं0 4/1/ व 4/2/.253, 5/1/,5/2/.253, 6,7,15

ग. प्रतिवादीयासं0 6 परमजीतकौर को चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 220/207 मु0 51 किलानं0 23/.253, 24/.151 है0 पूर्वी दिशा

घ. प्रतिवादीया सं0 2 तेजकौर, प्रतिवादीसं0 3 गजनसिह, प्रतिवादीसं0 4 गुरबचनसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221/207 मु. 50 किलानं0 4,7

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221/207 मु0 50 किलानं0 13,18 प्रत्येक किला में एक बिश्वा चौड़ा व प्रत्येक बीघा लमबा व किलानं0 8 में एक बिश्वा चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करने व चक 2 एसबीएन के खाता सं0 83/53 मे से जगराजसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (टिब्बी)

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–454 / 2019

सुखदेवसिह पुत्र मुकन्दसिह जाति कुम्हारसिख निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1.बलजिन्द्रसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2.तेजकौर पत्नी जगराजसिह
3.गजनसिह
4.गुरबचनसिह
पि0 जगराजसिह
जाति कुम्हारसिख निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5.कर्मजीतकौर पत्नी महेन्द्रसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

6.परमजीतकौर पत्नी तारासिह जाति कुम्हारसिख निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

7.महेन्द्रसिह पुत्र ज्वालासिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुरजनसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8.तहसीलदार / उपपंजीयक महोदय टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि **क.**वादी सुखदेवसिह को चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221 / 207 मु0 50 किलानं0 2,3, 8 / .199 है0 दक्षिणी दिशा 9 / .199 है0 दक्षिण दिशा

ख. प्रतिवादीसं0 1 बलजिन्द्रसिह, प्रतिवादीसं0 5 कर्मजीतकौर, प्रतिवादीसं0 7 महेन्द्रसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221 / 207 मु0 50 किलानं0 8 / .054, 9 / .054, 12,13,18,19, प0न0 220 / 207 मु0 51 किलानं0 24 / .102 है0 पश्चिमी दिशा, 25 / .253, प0न0 220 / 208 मु0 56 किलानं0 4 / 1 / व 4 / 2 / .253, 5 / 1 / ,5 / 2 / . 253, 6,7,15

ग. प्रतिवादीयासं0 6 परमजीतकौर को चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 220 / 207 मु0 51 किलानं0 23 / .253, 24 / .151 है0 पूर्वी दिशा

घ. प्रतिवादीया सं0 2 तेजकौर, प्रतिवादीसं0 3 गजनसिह, प्रतिवादीसं0 4 गुरबचनसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 2 एसबीएन के प0न0 221 / 207 मु. 50 किलानं0 4,7

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं0 2 एसबीएन के प0न0

221/207 मु0 50 किलानं0 13,18 प्रत्येक किला में एक बिश्वा चौड़ा व प्रत्येक बीघा लमबा व किलानं0 8 में एक बिश्वा चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करने व चक 2 एसबीएन के खाता सं0 83/53 मे से जगराजसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल.....X...मुब्लिक.......X.निल...........X.......बाबत्.....X......निल..............X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X......अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..31.03.2021को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी